न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 158/2020 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00234**
दायर दिनांक :– 27.11.2020 **निर्णय दिनांक :– 19.11.2025**

1. मानाराम पुत्र कौशलाराम फौत के कायम मुकाम
1/1 सुगनी पत्नी मानाराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
1/2 भागीरथराम पुत्र मानाराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
1/3 सहीराम पुत्र मानाराम फौत के कायम मुकाम
1/3/1 भगवती पत्नी सहीराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तह. लोहावट जिला फलोदी
1/3/2 सुरेश पुत्र सहीराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
1/3/3 निरमा पुत्री सहीराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
1/3/4 सन्दीप पुत्र सहीराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
1/3/3 व 1/3/4 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता भगवती पत्नी सहीराम
4. फरसाराम पुत्र मानाराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
5. रेशी पुत्री मानाराम जाति विश्नोई निवासी नोखड़ा भाटिया तहसील फलोदी जिला फलोदी
6. कमला पुत्री मानाराम जाति विश्नोई निवासी मतोड़ा तहसील बापिणी जिला जोधपुर
7. ऐलची पुत्री मानाराम जाति विश्नोई निवासी मडला कला तहसील देचू जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. हीराराम पुत्र कौशलाराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री मुल्तानाराम विश्नोई अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया कि ग्राम जाम्बा पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 72 रकबा 65–15 बीघा भूमि स्थित है। उक्त खसरे की भूमि का हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 335 दर्ज करते समय वादीगण के पूर्वज मानाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में मानाराम पुत्र कौशलाराम के स्थान पर मामराज पुत्र कौशलाराम दर्ज कर दिया गया जो आज दिन तक चला आ रहा है तथा हम वादीगण के पूर्वज मानाराम गांव के बुजुर्ग व गरीब किसान होने एंव राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं होने से अपना नाम राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज नहीं करवा सके। इसलिए पूर्वज मानाराम के हम वंशज वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्धि करवा कर खातेदारी घोषणा करवाने के लिए यह वाद प्रस्तुत है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश कर कथन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर नाम दुरूस्ती की घोषणा की जाती है तो कोई

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। वादी भागीरथ पुत्र मानाराम ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान पी.डब्लू–1, सुगनी पत्नी मानाराम ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान पी.डब्लू–2, भगवती पत्नी सहीराम ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान पी.डब्लू–3, सुरेश विश्नोई पुत्र सहीराम ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान पी.डब्लू–4, फरसाराम पुत्र मानाराम ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान पी.डब्लू–5, रेशी पत्नी हरूराम ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान पी. डब्लू–6, कमला पत्नी सुखराम ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान पी.डब्लू–7, एलची पत्नी बीरबल ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान पी.डब्लू–8, बलवन्ताराम पुत्र कौशलाराम ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान पी.डब्लू–9 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2072–2075 ग्राम जाम्बा पटवार हल्का जाम्बा के खसरा नम्बर 72 रकबा 65–15 बीघा स्थित है। वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में मामराज पुत्र कौशलाराम दर्ज है। है। वादीगण के नाम मांजूनगर पटवार हल्का मोरिया तहसील लोहावट में स्थित भूमि खसरा नम्बर 240 रकबा 34–15 बीघा की जमाबंदी में वादीगण के पिता का नाम मानाराम दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है कि वादीगण के पिता नाम मानाराम पुत्र कौशलाराम है। मानाराम पुत्र कौशलाराम फौत हो चुके इसलिये मानाराम पुत्र कौशलाराम के उत्तराधिकारी वारिसान वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। वादीगण ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जाम्बा पटवार हल्का जाम्बा के खसरा नम्बर 72 रकबा 65–15 बीघा के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम मामराज पुत्र कौशलाराम के स्थान पर मानाराम पुत्र कौशलाराम किया जाकर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Saty..

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. मानाराम पुत्र कौशलाराम फौत के कायम मुकाम
1/1 सुगनी पत्नी मानाराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
1/2 भागीरथराम पुत्र मानाराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
1/3 सहीराम पुत्र मानाराम फौत के कायम मुकाम
1/3/1 भगवती पत्नी सहीराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तह. लोहावट जिला फलोदी
1/3/2 सुरेश पुत्र सहीराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
1/3/3 निरमा पुत्री सहीराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
1/3/4 सन्दीप पुत्र सहीराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
1/3/3 व 1/3/4 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता भगवती पत्नी सहीराम
4. फरसाराम पुत्र मानाराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
5. रेशी पुत्री मानाराम जाति विश्नोई निवासी नोखड़ा भाटिया तहसील फलोदी जिला फलोदी
6. कमला पुत्री मानाराम जाति विश्नोई निवासी मतोड़ा तहसील बापिणी जिला जोधपुर
7. ऐलची पुत्री मानाराम जाति विश्नोई निवासी मडला कला तहसील देचू जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. हीराराम पुत्र कौशलाराम जाति विश्नोई निवासी मुन्जासर तहसील लोहावट जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

मुकदमा संख्या :– 158/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्यनारायण पीठासीन अधिकारी व हाजिर मुल्तानाराम विश्नोई मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम जाम्बा पटवार हल्का जाम्बा के खसरा नम्बर 72 रकबा 65–15 बीघा के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम मामराज पुत्र कौशलाराम के स्थान पर मानाराम पुत्र कौशलाराम किया जाकर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। नीचे

मुतालिक — बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर — फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक — को अदा करे।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.11.2025 को जारी की गई।

(सत्य नारायण–I R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।